

समाहरणालय गोपालगंज

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.2013 को माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में श्री मंजीत कुमार सिंह, मा० स० वि० स०, द्वारा अनुशासित योजनाओं का प्रखंडवार/नगर निकायवार अनुमोदित किया गया है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 03.05.13 द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने एवं अधूरे विद्युत ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना की निति निर्धारित की गयी है। प्राप्त मार्गदर्शिका में निहित निदेश के आलोक में तदनुसार कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा ग्रामवार प्रावकलन तैयार कर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं पत्रांक 1061 दिनांक 24.09.13 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	सिध्वलिया	(1)गौरी (2) केशो गौरा (3)टेकनिवास बहदूरा (4) बरहिमा सोनार/कलवार पटटी (5) कटेया टोला (6) कटेया खास (7) सुपौली	1339872.00	1339872.00
2		(1) बली छापर,बुधेया अनु० जाति टोला (2) डुमरिया पंडित टोला,वार्ड ७ (3) डुमरिया (शिव सहाय हाउस) (4) डुमरिया धानुक टोला, मंगोलपुर,श्री श्याम नारायण हाउस, लोहिजरा सजावल साह के टोला	1582560.00	1582560.00
3		(1) हथियानी (2) महारानी पनहुठी (3) मुजा (4) मुजा हातिम टोला,लम्बू सिंह के घर के पास (5) पहाडपुर (6) नरवट (7) बसठन,वार्ड नं० २ एवं ३ (8) सुपौली वार्ड नं० ९/१०	1826400.00	1826400.00
		कुल योग :-	4758832.00	4758832.00

कार्यकारी एजेन्सी का नाम -स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,(विहार स्टेट हॉल्डिंग पावर लि�.)गोपालगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को बिहार स्टेट पावर होलिडग कम्पनी लिंग के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर उपलब्ध करावेंगे तथा उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजेंगे।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि उपावंटित राशि के व्यय के पश्चात अभिश्रव कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भी उपलब्ध करावेंगे।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो ग्राफ कराना होगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी फोटो ग्राफ करना होगा।
 2. स्थीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
 3. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।

४. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट प्रगति किया जाय।

५. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/चपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय।

६. प्रत्येक माह की २०० तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला

योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजा जाए।

७. गोपालगंज जिला योजना पदाधिकारी द्वारा गोपालगंज तक विवरिति दिए गए विवरणों को जिला योजना पदाधिकारी, गोपालगंज।

ज्ञापांक..... / दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से ०३५२१०१०४२०६१ के नाम से राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, (बिहार स्टेट हॉल्डिंग पावर लिं.) गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक ५५० / दिनांक ८/१०/१३

प्रतिलिपि:- कोषामार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अई०टी०मैनेजर, एन०आई०सी०, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

प्रतिलिपि:- कोषामार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषामार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषामार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित किया जाय।
 5. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय।
 6. प्रत्येक माह की 2री० तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजा जाए।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज ।

ज्ञापांक..... / दिनांक

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से बिहार स्टेट पावर हॉलिडग कम्पनी लिंग के खाता सं-Deposit works accounts-ABA/C No-0352101042061 के नाम से राशि का बैंक ड्रापट बनाकर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,(बिहार स्टेट हॉलिडग पावर लिं.)गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज ।

प्रतिलिपि:- कोषमार पदाधिकारी गोपनीयमंजु को सचिनर्थ पांडे आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि-५ आई०टी०मैनेजर एन०आई०सी० गोपालगंज को सच्चार्या एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५००
जिला योजना पदाधिकारी
गोपालगंगा।

समाहरणालय गोपालगंज

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.2013 को माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में श्री मंजीत कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा अनुशासित योजनाओं का प्रखंडवार/नगर निकायवार अनुमोदित किया गया है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 03.05.13 द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने एवं अधूरे विद्युत ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना की निति निर्धारित की गयी है। प्राप्त मार्गदर्शिका में निहित निदेश के आलोक में तदनुसार कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा ग्रामवार प्रावकलन तैयार कर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं पत्रांक 1042 दिनांक 23.09.13 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	बैकुण्ठपुर	(1) गोपालपुर, संतोष सिंह के घर के पास (2) बुधेया कब्जी टोला (3) बुधेया, शम्भू पाण्डेय के टोला (4) विशुनपुरा (5) बनजरिया (6) अमरपुर, बार्ड न० 5 (शिवमंदिर) (7) सल्लेहपुर, मनोज वर्मा के घर के पास (8) दुमरिया, कुवर टोला (9) मंगोलपुर	1518606.00	1518606.00
		कुल योग :-	1518606.00	1518606.00

कार्यकारी एजेंसी का नाम :- स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, (बिहार स्टेट हॉल्डिंग पावर लिं.) गोपालगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को बिहार स्टेट पावर हॉल्डिंग कम्पनी लिं. के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर उपलब्ध करावेंगे तथा उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भी उपलब्ध करावेंगे।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि उपावंटित राशि के व्यय के पश्चात अभिश्रव कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भी उपलब्ध करावेंगे।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो ग्राफ कराना होगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी फोटो ग्राफ करना होगा।
2. स्वीकृत प्रावकलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
3. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।

समाहरणालय गोपालगंज

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.2013 को माननीय मंत्री—सह—अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में श्री मंजीत कुमार सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा अनुशासित योजनाओं का प्रखंडवार/नगर निकायवार अनुमोदित किया गया है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 03.05.13 द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने एवं अधूरे विद्युत ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना की निति निर्धारित की गयी है। प्राप्त मार्गदर्शिका में निहित निदेश के आलोक में तदनुसार कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा ग्रामवार प्रावकलन तैयार कर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं पत्रांक 1042 दिनांक 23.09.13 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1		(1) अजबीनगर वार्ड न० 4 (2) मंगलपुर (3) खिरपा (4) कररिया (5) निजामत कररिया (6) दिपउ (7) खोरमपुर खुर्द (8) महारानी उग्रसेन (9) महारानी (10) पिपरा	1687340.00	1687340.00
2	बैकुण्ठपुर	(1) बिजुलपुर (2) महुआ गोला (3) गंधुआ(4) फकलपुरा (5) बलहन (6) फौजुल्लाहपुर (7) कल्याणपुर (8) लम्मीपुर (9) देकुली (10) पिपरा बाजार (11) बुधसी मीजे पटेल भवन	1856074.00	1856074.00
कुल योग :-			3543414.00	3543414.00

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :-—स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, (बिहार स्टेट हॉल्डिंग पावर लि०) गोपालगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को बिहार स्टेट पावर हॉल्डिंग कम्पनी लि० के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर उपलब्ध करावेंगे तथा उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजेंगे।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि उपार्वाटित राशि के व्यय के पश्चात अभिश्रव कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भी उपलब्ध करावेंगे।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो ग्राफ कराना होगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी फोटो ग्राफ करना होगा।
2. स्वीकृत प्रावकलन में वर्णित कड़िकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना—कार्य सम्पादित किया जाय।
3. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि पाए जाने पर सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेन्सी की होगी।
4. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित किया जाय।
5. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/ उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय।

4-37

6. प्रत्येक माह की 2^{री}० तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजा जाए।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज ।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से बिहार स्टेट पावर हॉलिडग कम्पनी लि० के खाता सं०-Deposit works accounts-ABA/C No-0352101042061 के नाम से राशि का बैंक ड्राप्ट बनाकर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,(बिहार स्टेट हॉलिडग पावर लि�.) गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक ५४९, दिनांक ४-१०-१८

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी गोपालगंज को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, एन०आई०सी०, गोपालगंज को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना प्रदायिकारी
गोपालगंज ।

१०८ शिव के मिठ्ठे सप्तशताब्दी

4. **What is the primary purpose of the study?**

IndraSoft/08-10-13

Indrajit/y-08-10-13